श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक– 19.09.2025 (शुक्रवार) का समिति कार्यालय, रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 73 वीं बैठक की कार्यवाही :–

01. **उपस्थिति** : उपस्थिति विवरणी अलग से संलग्न है।

क्रम सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र।	सभापति	उपस्थित
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, रांची द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारित (उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री राजेश बाखला, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनित सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ० कामिनी कुमार (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्) झारखण्ड, रांची।	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

02) कार्यसूची की मद **संख्या– 01** : दिनांक–02.07.2025 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 72वीं बैठक की कार्यवाही **निर्णय की सर्वसम्मति** से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

03) कार्यसूची की मद **संख्या– 02** : दिनांक–02.07.2025 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 72वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के कृत अनुपालन प्रतिवेदन को प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया; तद्नुसार समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

04) कार्यसूची की मद संख्या– **03** : नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2024–25 मे विद्यालय में कुल नामांकित छात्रों एवं अध्यनरत् छात्रों की समीक्षा के क्रम में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि नियमानुसार उक्त सत्र में मेधाक्रम से कुल 100 छात्रों का नामांकन लिया गया था। परन्तु नामांकन के तुरंत पश्चात् 04 छात्रों ने परित्याग प्रमाण पत्र ले लिया। विचार–विमर्श के क्रम में सभी सदस्यों का यह अभिमत हुआ कि चूँकि विद्यालय प्रत्येक वर्ष 100 छात्रों के नामांकन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है साथ ही विद्यालय 100 छात्रों को ही आधार मानकर बजट कि राशि शिक्षा विभाग से अधियाचना करता है, अतएव किसी भी सत्र को पूर्ण संख्या के आधार पर नियमित किया जाना आवश्यक है। अतएव सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सत्र 2024–25 मे जो चार छात्र परित्याग प्रमाण पत्र ले लिए हैं उनके स्थान पर मेधा क्रम के आधार पर 04 छात्रों का नामाकन लिया जाय। इन 04 छात्रों के नामांकन में उन छात्रों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दिया जाए जो परीक्षा में मेधा सूची पर थे, परन्तु जिन्हें केवल शारीरिक जाँच में उम्र सीमा के आधार पर अधिक उम्र निर्धारित करते हुये अयोग्य घोषित किया गया था, परन्तु जो पुनर्चिकित्सा मे योग्य पाये गये हैं! सभी सदस्यों का यह भी अभिमत रहा कि संबंधित सत्र में **केवल 04 छात्रों का ही नामांकन लिया जाए**, ताकि 100 की

Kamini Kumar

संख्या पर सत्र नियमित हो सके। सभी सदस्यों का यह भी सुझाव रहा कि किसी भी नए सत्र में नामांकन की स्थिति में अगर 03 माह के अंदर कोई भी छात्र पर परित्याग प्रमाणपत्र ले लेते हैं तो उनके स्थान पर मेधा सूची के आधार पर छात्रों के नामांकन लेने कि प्रक्रिया अपनाई जाय।

05) कार्यसूची की मद संख्या– 04 : विद्यालय विरोधी कार्यो एवं अनुशासनहीन कृत्यों के कारण विद्यालय कार्यालय आदेशांक –751, दिनांक –08/04/2025 के द्वारा विद्यालय के शिक्षक श्री अतुल रंजन एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। उक्त निलंबन की संपुष्टि कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा प्रदान की गई। निलंबन के उपरांत सभी बिंदुओं की जाँच एवं समीक्षा के लिए विद्यालय कार्यालय आदेशांक–2132, दिनांक–19/06/2025 के माध्यम से एक द्विसदस्यीय जाँच समिति गठित कि गई थी। जाँच समिति के प्रतिवेदन को सभी सदस्यो के अवगतार्थ प्रस्तुत किया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग प्रतिनिधि द्वारा जाँच प्रतिवेदन को गंभीरता के साथ लेते हुए यह सुझाव दिया गया कि श्री अतुल रंजन एक्का को सुधार का एक अंतिम मौका प्रदान करते हुए निलंबन मुक्त किया जा सकता है, परंतु उनके एक वेतन वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाय। शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि का यह भी मंतव्य हुआ कि प्राचार्य सह– सदस्य सचिव, ने. वि. स. निलंबन विमुक्ति के साथ उन्हें एक स्पष्ट निर्देश पत्र उन्हें निर्गत करेंगे कि भविष्य में अगर उनके द्वारा किसी प्रकार के अनुशासनहीन कार्य किये जाते हैं, तो उनपर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

06) कार्यसूची की मद संख्या– 05 : लाइब्रेरियन एवं बर्सर के एकल पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 01/2025 के प्रसंग में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की सम्पुष्टि प्रदान करते हुये स्क्रीनिंग समिति के रिपोर्ट को अंगीकृत किया गया। स्क्रीनिंग समिति के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई यथा लिखित परीक्षा एवं अन्तर्विक्षा के लिए प्राचार्य सह सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया। लिखित परीक्षा के उपरांत सर्वोसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेधा क्रम से एक पद के लिए 15 अभियर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जायेगे। तदनुसार लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वीक्षा के आधार पर अंतिम चयन मेधा सूची तैयार करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

07) कार्यसूची की मद संख्या– 06 : नेतरहाट आवासीय विद्यालय में विगत 10 वर्षों से संविदा पर कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मी जो सम्प्रति विभिन्न पदों यथा :– रसोईया, माली, आश्रम सेवक, पियन, लैब पियन, दर्जी एवं चौकीदार जैसे विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, की सेवा स्थायीकरण अथवा समिति के नियमित कर्मियों के भांति अन्य सेवा अनुलाभ प्रदान किये जाने के विचार–विमर्श के क्रम में प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया की विगत 10 वर्ष पूर्व नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा खुली विज्ञापन के माध्यम से संविदा के आधार पर विभिन्न चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति की गई थी; इन कर्मियों ने अपनी सेवा के स्थायीकरण के लिए आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में संबंधित विषयक विधिक परामर्श प्राप्त की गई है। विधिक परामर्श की प्रति सदस्यों के अवगार्थ प्रस्तुत किया गया; तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि चूंकि नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली–323, दिनांक–23.10.2009 के नियम–33 में अंकित है की संबंधित चतुर्थवर्गीय कर्मियों के विभिन्न कार्यों जैसे– सफाई, भोजन व्यवस्था, धोबी इत्यादि के लिए संविदा पर ही कार्य कराने की व्यवस्था की जानी है; अतएव, सेवा स्थायीकरण के प्रसंग में पूर्वतः यथास्थिति बनाते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया की जिन कर्मियों की नियुक्ति खुली विज्ञापन के माध्यम से हुई है, साथ ही जो अनिवार्य अर्हताएं पूरी करते है तथा जिनकी नियुक्ति आरक्षण रोस्टर व्यवस्था के तहत है एवं जो पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है उन्हे

Kamini Kumar

नेतरहाट विद्यालय समिति की सेवाशर्तो के अनुरूप ही अन्य कर्मियों की भांति अन्य सुविधाएं एवं अनुलाभ यथा: ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश इत्यादि के नियामनुसार भुगतान हेतु प्राचार्य सह सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निदेशित किया गया कि संचिका के माध्यम से प्रासंगिक विषय पर प्रशासी विभाग, (माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता) से परामर्श / निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

08) कार्यसूची की मद संख्या– 07 : प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि विद्यालय में कुछेक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है, जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर संस्था के स्वायतता पश्चात् कार्य पर रखा गया था। इन कर्मचारियों ने अपने सेवा स्थायीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में WP (S) संख्या– 1803 / 2021 दायर किया था, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने समिति के स्तर से ही यथोचित निर्णय लिये जाने हेतु निदेशित किया था। सम्यक् विचारोपरांत शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग का यह सुझाव हुआ की चूँकि नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली में सेवा स्थायीकरण का कोई नियम सन्नहित नहीं है, परन्तु इन कर्मियों को समिति के अन्य कर्मियों की भाँति समिति की सेवा–शर्तो के अनुरूप अन्य सुविधाएं एवं अनुलाभ यथा: ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश इत्यादि के नियामनुसार भुगतान हेतु प्राचार्य सह सदसय सचिव, ने.वि.स. को निदेशित किया गया कि संचिका के माध्यम से प्रासंगिक विषय पर प्रशासी विभाग, (माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता) से परामर्श / निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

09) कार्यसूची की मद संख्या– 08 : प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि नेतरहाट विद्यालय समिति के अनुरूप विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के निष्पादन हेतु समय–समय पर आवश्यक कार्यों के संदर्भ में बाह्य विशेषज्ञों की सेवा लेनी पड़ती है, इस क्रम में विशेषज्ञों को पारिश्रमिक / मानदेय एवं यात्रा व्यय की राशि भुगतान करने में किंचित समस्याएं उत्पन्न होती है, इसके लिए एक स्पष्ट मापदण्ड / प्रारूप का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। सम्यक् विचारोपरांत निम्नानुसार पारिश्रमिक राशि का निर्धारण किया गया :

क्रम सं०	विवरणी	राशि (रु.)
1	शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के प्रसंग में बाह्य स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न पत्र निर्धारण के लिए मानदेय / पारिश्रमिक	रु. 2,500.00 (प्रति प्रश्न पत्र)
2	बाह्य विशेषज्ञों से प्रश्न–सह उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु मानदेय / पारिश्रमिक	रु. 20.00 (प्रति पुस्तिका)
3	अंतर्वीक्षा के लिये विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित सदस्यों के मानदेय हेतु।	रु. 2,500.00 (प्रति कार्य दिवस)
4	यात्रा व्यय (निजी वाहन से प्रतिभरित होने पर)	रु. 10.00 (प्रति कि.मी.)
5	विशेषज्ञ शिक्षकों से Online कक्षा लेने का शुल्क	रु. 1000.00 (प्रति कक्षा)
6	विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा नेतरहाट विद्यालय आकर कक्षा / व्यायाम का शुल्क / मानदेय	रु. 1000 + TA

Karini Kumar

Santosh

10) कार्यसूची की मद संख्या– 09 : दिनांक– 04.07.2025 को सम्पन्न हुई शासी निकाय की बैठक में प्राप्त निर्देश के आलोक में विशेषज्ञ शिक्षकों से वर्चवल मोड पर अथवा भौतिक रूप से कक्षाएं संचालित कराये जाने के प्रसंग में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा तैयार किये गये सूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

11) कार्यसूची की मद संख्या– 10 : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को बताया गया की वित्तीय वर्ष, 2023–24 के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकेक्षक के द्वारा कई वित्तीय बिन्दुओं के प्रसंग में तत्कालीन प्राचार्य को निर्देशित किये गये थे, जिसमें GST अधिनियमों के नियमों की अनदेखी एवं अन्य बिन्दुओं पर इंगित किये गये थें, जिसकी परिचर्चा दिनांक–09.09.2024 को सम्पन्न हुई शासी निकाय की 13वीं बैठक की कार्यवाही कंडिका–18 में की गई थी। प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा बताया गया कि इसका मूल कारण यह रहा की तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा श्री अमित कुमार जिनकी नियुक्ति **'प्रयोगशाला भंडारी'** के पद पर हुई है, को कोषपाल का प्रभार प्रदान कराते हुए दिनांक–14.07.2023 के माध्यम से एक आदेश निर्गत किये गये थे, जिसमें सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया था कि "सभी वित्तीय कार्य कोषपाल के माध्यम से सीधे प्राचार्य के समक्ष उपस्थापित किये जायेगें।" बिना योग्यता/अर्हता/वरीयता के इस प्रकार के आदेश निर्गत से ही तत्संबंधी समस्याएँ उपत्पन्न हुई, जैसा कि अंकेक्षक ने इसका उल्लेख अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया है। प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा बताया गया की अंकेक्षक के प्रतिवेदन को प्राथमिकता के साथ लेते हुए श्री अमित कुमार से कार्यालय पत्रांक–867, दिनांक–24.04.2025 के माध्यम से एक स्पष्टीकरण पृच्छा की गई थी, जिसपर श्री अमित कुमार का अस्पष्ट प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ था। पुनः विद्यालय कार्यालय पत्रांक–884, दिनांक–28.04.2025 के माध्यम से उन्हें दुबारा स्पष्टीकरण पत्र दिया गया साथ ही श्री अमित कुमार की नियुक्ति के प्रसंग में भी एक तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई थी, जिसपर जाँच समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया की श्री अमित कुमार की नियुक्ति में सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। सभी बिन्दुओं के विचार–विमर्श के उपरांत शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि का मंतव्य हुआ की अंकेक्षण प्रतिवेदन को गम्भीरता से लेते हुए प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव एक अंतिम पत्र श्री अमित कुमार को प्रेषित करेंगे एवं सभी बिन्दुओं पर एक समिति गठित कर अंतिम रिपोर्ट तैयार करायेगें। तदोपरांत श्री अमित कुमार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु एक प्रतिवेदन संचिका के माध्यम से अपने मंतव्य के साथ शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अंकेक्षित बिन्दुओं का परिपालन किया जा सके।

12) कार्यसूची की मद संख्या– 11 : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 की बजटीय उपबंध की प्रत्याशा में नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली 323, दिनांक–23.10.2009, पृष्ठ–19, कंडिका 29 (ii) के विहित नियमों के आलोक में गैर–योजनान्तर्गत सहायता अनुदान (गैर वेतन) मद की निम्नांकित राशि के पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान की गई।

क्र. सं.	मद का नाम	कोड संख्या	प्रत्यार्पित राशि (रु.)	क्र. सं.	मद का नाम	कोड संख्या	पुनर्विनियोग की राशि (रु.)
1	(i) मोटरगाड़ी इंधन एवं मरम्मति (ii) मशीनरी एवं उपकरण	42 17	10,50,000.00 6,00,000.00	1	समग्री एवं आपूर्तियां	23	16,50,000.00

Karmini Kumar [signatures]

2	जेनरेटर का इंधन	75	3,00,000.00	2	मजदूरी	03	3,00,000.00
3	अन्य प्रशासनिक व्यय	72	4,00,000.00	3	मानदेय (गैर वेतन)	09	4,00,000.00
			23,50,000.00				**23,50,000.00**

13) कार्यसूची की मद संख्या– 12 : वर्त्तमान कार्यकारिणी समिति एवं सामान्य निकाय समिति के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए समिति नियमावली में वर्णित नियमों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को प्राधिकृत किया गया।

14) कार्यसूची की मद संख्या– 13 : झारखण्ड शिक्षा परियोजना, रांची के कार्यालय पत्रांक–255, दिनांक–21.01.2025 तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार के कार्यालय पत्रांक–32, दिनांक–08.01.2025 के माध्यम से विद्यालय के कतिपय लघु मरम्मति कार्यो के प्रसंग में प्रदान किये गये तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

15) कार्यसूची की मद संख्या– 14 : विद्यालय के निलम्बित शिक्षकों एवं प्रशासी पदाधिकारी जिन्हें निलम्बन मुक्त किया गया है, के वेतन भुगतान के प्रसंग में निर्णय लिया गया की संबंधित शिक्षकों एवं पदाधिकारी के एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाय। एतदर्थ विषयक अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को प्रधिकृत किया गया।

16) कार्यसूची की मद संख्या– 15 : निलंबित शिक्षकों को निलंबन विमुक्ति के उपरांत निलंबन अवधि का आश्रमाध्यक्ष भत्ता भुगतान किये जाने के प्रसंग में वित्त विभाग के संयुक्त सचिव एवं उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का स्पष्ट निर्देश हुआ की चुंकि निलंबित शिक्षक निलंबन के दौरान **आश्रमाध्यक्ष के दायित्व** के प्रभार में नहीं थें; अतएवं, उन्हे निलंबन अवधि के दौरान आश्रमाध्यक्ष भत्ता देय नहीं होंगा। जो शिक्षक उक्त अवधि में आश्रमाध्यक्ष के दायित्व के प्रभार में थें केवल उन्हें ही आश्रमाध्यक्ष भत्ता दिया जायेगा।

17) कार्यसूची की मद संख्या– 16 : खुली विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या–168, दिनांक–02.06.2025 के आलोक में विद्यालय के स्थानीय प्रबंधन समिति द्वारा स्क्रूटनी पश्चात् संचिका के माध्यम से प्रस्तावित C.A Firm की पैनल सूची की स्वीकृति प्रदान की गई।

18) कार्यसूची की मद संख्या– 17 : कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की दिनांक–02.07.2025 को आहूत 72वीं बैठक के निर्णयानुसार सभापति के कार्यालय आदेशांक–40/NVS/2025, दिनांक–03.07.2025 के माध्यम से निर्गत वर्तमान प्राचार्य की सेवा सम्पुष्टि संबंधी आदेशित परिपत्र की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

अन्यान्य –:

(i) श्रीमती ममता कुमारी, कृषि प्रशिक्षिका द्वारा सेवा नियमितीकरण के प्रसंग में विद्यालय एवं समिति कार्यालय को दिये गये आवेदन के आलोक में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को निदेशित किया गया की सभी बिन्दुओं यथाः नियुक्ति विज्ञापन, रोस्टर अनुपालन, नियुक्ति प्रक्रिया, शर्त्त आदि का उल्लेख करते हुए विधिक परामर्श प्राप्त कर ली जाय, तत्पश्चात् अपने मंतव्य/सुझाव के साथ संचिका उपस्थापित करेंगे।

Kamini Kumar   [signature]   Santosh [signature]

(ii) आगामी वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2026 के बेहतर परिणाम हेतु प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया की सभी विषयों के पाठ्यक्रमों की यथास्थिति से अविलम्ब अवगत कराना सुनिश्चित करें साथ ही जिन विषयों में पाठ्यक्रम संतोषजनक स्थिति में नहीं है, उनकी विशेष तैयारी पर ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाये जाय साथ ही सभी PL की कक्षाएं भी सुनिश्चित हो सके इस पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(iii) सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया की भ्र०नि० ब्यूरो, पलामू के द्वारा वाद संख्या–10/2024 के प्रसंग सभी अभिलेखों के साथ स्वीकृत्यादेश हेतु पत्र प्राप्त हुए थें। प्राप्त दस्तावेजों एवं अभिलेखों में कई तकनीकी त्रुटियां विद्यामान थी, जिसका विस्तृत अध्ययन कर समिति के कार्यालय पत्रांक–59/ने.वि.स./2025, दिनांक–08.08.2025 एवं पत्रांक–60/ने.वि.स./2025, दिनांक–08.08.2025 के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों को ससमय अभिमत पत्र प्रेषित करा दिया गया है। सम्यक् विस्तृत विचारोपरांत सभापति द्वारा निर्गत पत्रों की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

(iv) वित्तीय नियमों के परिपालनो को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देशित किया गया कि समिति नियमावली के अनुरूप कर्मचारियों के निरूपति कार्य–दायित्व जिसे दिनांक–09.09.2024 को संपन्न हुई शासी निकाय की बैठक में संपुष्टि प्रदान की गई है, का दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सर्वसम्मती से समाप्त हुई।

Kamini Kumar
19.9.2025

Santosh 19.9.2025

(सभापति)
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

ज्ञापांक– 71 / ने.वि.स. / 2025 रांची, दिनांक–19.09.2025

प्रतिलिपिः– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार / वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार / प्रो.(डॉ.) कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति / प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 19.9.2025

Kamini Kumar

(सभापति)
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।

नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति, की दिनांक–19.09.2025 (शुक्रवार) को आहूत समिति कार्यालय रांची में 73वीं बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	Santosh 19-9-2025
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।	सदस्य	[signature] 19/09/25
3.	श्री राजेश बाखला, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य	[signature] 19/09/2025
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), झारखण्ड, राँची।	सदस्य	Kamini Kumar 19.09.2025
5.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	[signature] 19/09/25